

अनुदान संख्या 62 - विधि और न्याय
GRANT No. 62-LAW AND JUSTICE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1637,11,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
		1637,12,00	1393,63,97	-243,48,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			180,03,47
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	40,89,00	8,30	-40,80,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			40,59,40

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचते/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/ हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	6224.00		
पु.	R.	514.90		
		6738.90	6050.71	-688.19
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"			
न्याय प्रशासन	Administration of Justice			
मू.	O.	26138.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-5286.94		
		20852.06	19201.95	-1650.11

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections			
मू.	O. 112000.00	95697.30	92220.46	-3476.84
पु.	R. -16302.70			
मुख्य शीर्ष "2020" आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure			
मू.	O. 4376.00	5374.76	4906.82	-467.94
पु.	R. 998.76			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O. 2600.00
पु.	R. -2600.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O. 10960.00	15689.62	15689.62	. .
पु.	R. 4729.62			

(I) 2743.50 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 2600.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552"- "न्याय प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान"- 1600.00 लाख रु.; और

(I) Provision of Rs.2743.50 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.2600.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Administration of Justice" – under the following heads:-

(A) "Grants for Infrastructural facilities for Judiciary" – Rs.1600.00 lakhs; and

(खा) “जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण” - 1000.00 लाख रु।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “विधायी कार्य विभाग” - 337.19 लाख रु. की बचत (3320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण” - 261.31 लाख रु. की बचत (298.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष “2014” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “सिविल और सत्र न्यायालय - फास्ट ट्रैक कोर्ट” - 1836.84 लाख रु. की बचत (7450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “अन्य व्यय” -

(क) “जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण” - 4713.94 लाख रु. की बचत (10950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(B) “Computerization of District and Subordinate Courts” – Rs.1000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “2052” – “Secretariat” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Department of Legal Affairs” – saving of Rs.337.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3320.00 lakhs); and

(B) “National Legal Services Authority” – saving of Rs.261.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.298.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(III) Under Major Head “2014” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Civil and Session Court – Fast Track Courts” – saving of Rs.1836.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7450.00 lakhs); and

(B) “Other Expenditure” –

(a) “Computerization of District and Subordinate Courts” – saving of Rs.4713.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10950.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from the State/Union Territory Governments.

- (ख) "राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी" - 670.00 लाख रु. की बचत (1340.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ग) "वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र" - 325.00 लाख रु. की बचत (625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (घ) "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण" - 473.70 लाख रु. की बचत (2202.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुदानग्राही निकायों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं।

- (ङ) "भारत में न्याय की पहुंच का सुदृढीकरण" - 731.13 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (परियोजनाओं) के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।
- (च) "न्यायिक सुधार और निर्धारण स्थिति का अध्ययन" - 247.67 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

- (का) "निर्वाचन अधिकारी - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति" - 6799.35 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (खा) "निर्वाचक नामावली तैयार करना और उसका मुद्रण - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति" - 5567.01 लाख रु. की बचत (14000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

- (b) "National Judicial Academy" - saving of Rs.670.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1340.00 lakhs);
- (c) "International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR)" - saving of Rs.325.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.625.00 lakhs); and
- (d) "National Legal Service Authority" - saving of Rs.473.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2202.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less demand from the grantee bodies.

- (e) "Strengthening of Access to Justice in India (SAJI)" - saving of Rs.731.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the UNDP for Externally Aided Project(s).
- (f) "Study of Judicial Reforms and Assessment Status" - saving of Rs.247.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(IV) Under Major Head "2015" - savings occurred under the following heads:-

- (A) "Electoral Officers - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of Rs.6799.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs);
- (B) "Preparation and Printing of Electoral Rolls - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of Rs.5567.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14000.00 lakhs);

(गा) “लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रभार - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति” - 4174.64 लाख रु. की बचत (85000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) “मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाना - राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति” - 2861.39 लाख रु. की बचत (4300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके पिछले वर्षों के लेखा प्रमाण-पत्रों के आधार पर कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुईं।

(ङ) “संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार - बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” - 348.15 लाख रु. की बचत (671.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3601” - “योजनेतर अनुदान - न्याय प्रशासन (विशेष न्यायालय) - परिवार न्यायालय” के अंतर्गत 900.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 219.86 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1257.40 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2014” - “अन्य व्यय - ग्राम न्यायालय स्थापित करने और उनके प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता” के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही

(C) “Charges for conduct of Election for Lok Sabha and States/Union Territory Legislative Assemblies when held Simultaneously – Reimbursement to State/Union Territory Governments” – saving of Rs.4174.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.85000.00 lakhs); and

(D) “Issue of Photo Identity Cards to voters - Reimbursement to State Governments” – saving Rs.2861.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4300.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to release of less funds to the States/UTs based on their Audit Certificate for the previous years.

(E) “Charges for conduct of election to Parliament - Expenditure in Union Territories without Legislatures” – saving of Rs.348.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.671.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the Union Territories.

(V) Under Major Head “3601” – “Non Plan Grants - Administration of Justice (Special Courts) - Family Courts” – saving of Rs.900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the State Governments.

(VI) Under three heads savings of Rs.219.86 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 25 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1257.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2009 under Major Head “2014” – “Other Expenditure - Assistance to State Governments for establishing and

सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1256.40 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "अन्य कार्यालय - एकीकृत मुकदमा अभिकरण" - 677.92 लाख रु. का अधिक व्यय (367.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस भवन के स्वामी को कार्यालय आवास के लिए किराए की अदायगी चुकता किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2014" - "न्याय आयुक्त (बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र) - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान" - 980.00 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2020" - "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण" - 544.82 लाख रु. का अधिक व्यय (4362.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों की उनके बकाया सहित अदायगी चुकता किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - न्याय प्रशासन - अन्य अनुदान - न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान" - 5629.62 लाख रु. का अधिक व्यय (9960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

operating Gram Nyayalayas". Actual excess, however, was Rs.1256.40 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" - "Other Offices - Unified Litigation Agency" - excess of Rs.677.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.367.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear payment of rent for office accommodation to the owner of Hindustan Times House building.

(B) Major Head "2014" - "Judicial Commissioner (UTs without Legislature) - Grants for infrastructural facilities for Judiciary" - excess of Rs.980.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for development of infrastructural facilities for judiciary of UT, Chandigarh.

(C) Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" - excess of Rs.544.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4362.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear payment of salaries and allowance including arrears.

(D) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Administration of Justices - Other Grants - Grant for infrastructural Facilities for Judiciary" - excess of Rs.5629.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9960.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from the Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet additional demand received from the State Governments.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services			
मू.	O.	4089.00	29.60	8.30
पु.	R.	-4059.40		
				-21.30

(I) 2.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "निदेशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण और भवन का निर्माण" के अंतर्गत 4078.70 लाख रु. की बचत (4087.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नव सृजित पीठों के लिए भूमि के अधिग्रहण और भवन के निर्माण के लिए अधिक निधियों के उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under "Direction and Administration – Acquisition of Land and Construction of Building for Income Tax Appellate Tribunal" – saving of Rs.4078.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4087.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from Ministry of Finance for utilisation of more funds on acquisition of land and construction of buildings for the newly created benches.